न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

(शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी/आड़ेल)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

संख्या: 76/2020

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

गण :–

1. किशनाराम पुत्र फूसाराम वगैरा (3)
जाति जाट निवासी रामजी का गोल तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. स्वरूपसिंह वल्द जगमालसिंह (20)

21. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:–

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 21/10/21

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु,नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के कब्जा काश्त अनुसार नेखमबंदी किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 केम्प **रामजी का गोल** पेश हुई। हमने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा मजमेआम जानकारी ली गई। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2073–2076 सरहद मौजा तेजियावास के खेत खसरा नम्बर 61 रकबा 44–13 बीघा का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से वक्त प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है **दोनों पक्षकारों को मौके पर उपस्थित रहने की सूचना विधिवत नोटिस देकर तथा मौके पर उपस्थित करते हुए, दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में** विवादित खसरा सरहद मौजा तेजियावास के खेत खसरा नम्बर 61 रकबा 44–13 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेख[illegible] को 500/– शुल्क पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। क[illegible]र्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने [illegible] थाना गुड़ामालानी से पु[illegible] है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद[illegible]करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली कि[illegible]ावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.01.11 16:44:11 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 21/10/21 को प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय **रामजी का गोल** में मजमेआम खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
जिला बाड़मेर
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021